न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह,आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–367/2023
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2023/364

अपीलाण्ट :–

1. जरावी देवी बेवा पुखराजजी पुत्री मनाजी, उम्र 70 वर्ष, निवासी रानी स्टेशन तहसील रानी जिला–पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. मोहनलाल पुत्र मनाराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी रानी गाँव, तहसील रानी, जिला–पाली (राज.)
2. रमेश कुमारा पुत्र मूलाराम, उम्र 60 वर्ष, निवासी– रानी ओक्सफोर्ड स्कूल के पास, तहसील रानी, जिला– पाली (राज)
3. ताराचन्द पुत्र नेमाराम, उम्र 38 वर्ष, निवासी केनपुरा रोड़, रानी, तहसील रानी, जिला–पाली (राज.)
4. देवीसिंह पुत्र डूंगरसिंह
5. जयसिंह पुत्र कल्याणसिंह
6. अमरसिंह पुत्र भूरसिंह
7. केशरसिंह पुत्र रूपसिंह
8. पदमसिंह पुत्र केलरसिंह
9. सोहनसिंह पुत्र जब्बरसिंह
10. विशनसिंह पुत्र मोडसिंह
11. जब्बरसिंह पुत्र मोडसिंह
12. रतनसिंह पुत्र किशोरसिंह
13. भीमसिंह पुत्र किशोरसिंह
14. घेवरचन्द जैन पुत्र (अंकित नहीं है) 552 तमाम निवासीगण–रानीखुर्द तहसील रानी जिला–पाली (राज.)
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रानी जिला–पाली (राज.)

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी के प्रार्थना पत्र संख्या 1/2023 पारित निर्णय दिनांक 08–12–2023

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री ज्योति कुमार शर्मा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट
2. श्री सुमेरसिंह, श्री घनश्याम सिंह, धीरेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 लगायत 14

:: निर्णय ::

दिनांकः–24अक्टूबर, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट जरावी वगैरह ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2023 से व्यथित होकर दिनांक 12.03.2024 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त,
पाली

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–12–2023 से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रानी खुर्द तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 246 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा व कब्जाशुदा स्थित है। (उक्त खसरा नम्बर 246 की भूमि आगे चलकर खसरा नम्बर 850/246 के रूप में दर्ज हुई तथा वर्तमान मे उक्त भूमि को तीन भागो में बांट कर खसरा नम्बर 866/850, 867/850, 868/850 के रूप में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है।)रेस्पोडेंटस् ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 247, 845/245, 250, 251, 233/1027, 233/923, 233/922, 233/290, 233/01, 296, 233/1026, 233, 816/233, 815/233, 233/1245, 829/256, 256/832, 856/754 में आने–जाने हेतु अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 में से रास्ता हेतु तहसीलदार रानी के समक्ष दिनांक 06.09.2022 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था, जिस पर तहसीलदार रानी द्वारा आर.आई. से मौका रिपोर्ट मंगवाई जिस पर दिनांक 09.09.2022 को आर.आई. ने अपनी मौका रिपोर्ट तहसीलदार रानी के समक्ष प्रस्तुत कर बताया कि रेस्पोडेंटस् की खातेदारी भूमि मे जाने हेतु उनके पास खसरा नम्बर 254आम रास्ता की भूमि पहले से ही उपलब्ध है परन्तु रेस्पोडेंटस् यह चाहते थे कि वे अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 246 में से होकर खसरा नम्बर 187 आम रास्ते की भूमि में बिना रोक–टोक आ जा सकें, जो अनुतोष रेस्पोडेंटस् को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिया जाना संभव नही था और धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई कार्यवाही नहीं हुई।बिना किसी कारण के, बिना क्षेत्राधिकार के, बिना किसी अधिकारिता के तहसीलदार रानी ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रानी जिला पाली के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 बाबत चालू स्थाई रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करने के आदेश प्रदान करने हेतु दिनांक 13.09.2022 को पेश किया था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी रानी ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिनांक 04.10.2022 को आदेश पारित किया कि "अपीलांट की कृषि भूमि खसरा संख्या 246 के रकबा 4.50 गुणा 13 कुल 59 वर्गमीटर भूमि को राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाए।" जिस आदेश की पालना में तहसीलदार ने बिना अपीलान्ट को सूचना दिये राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 246 (850/246) को दो भागो में बांट कर बीच में से रास्ते की भी भूमि राजस्व

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

रेकर्ड में दर्ज कर दी और नए खसरानम्बर 866/850, 867/850, 868/850 दर्ज कर दिये। जिसमें से खसरा संख्या 808/850 को गैर मुमकीन रास्ता अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज कर दिया।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 04.10.2022 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट पीटिशन संख्या 17478/2022 पेश की और रेस्पोडेंटस मोहनलाल व अन्य ने भी एक रिट पीटिशन सख्या 8479/2023 पेश की उक्त दोनो रिटो में संयुक्त रूप से दिनांक 22.09.2023 को आदेश पारित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी रानी दोनो पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर उपखण्ड अधिकारी अपना पक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अगली पेशी तारीख को पेश करें।उपखण्ड अधिकारी रानी ने उक्त आदेश की पालना में रिमाण्ड प्रकरण संख्या 01/2023 दिनांक 29.11.2023 को दर्ज किया और उसकी अगली पेशी दिनांक 08.12.2023 नियत की पेशी दिनांक 08.12.2023 को अपीलान्ट ने एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी महोदय रानी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट का पक्ष सुन कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे परन्तु योग्य अधिन न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 08.12.2023 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।उक्त आदेश दिनांक 08.12.2023 के पारित होने के पश्चात उक्त आदेश के बारे में अपीलान्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को अवगत कराया तो माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त सिविल रिट पीटिशन संख्या 17478/2022 मे दिनांक 05.03.2024 को आदेश पारित कर अपीलांट को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनेहेतु निर्देश दिये। जिस पर यह अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की गई।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किअधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 में से खसरा नम्बर 254 (गैर मुमकिन रास्ता) में आने–जाने हेतु रास्ते की भूमि होना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।रेस्पोंडेंट ने अपनी कृषि भूमि ने आने जाने हेतु अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 में से रास्ते की मांग की थी परन्तु उनके पास आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 254 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि उपलब्ध थी। उसके बावजूद उन्होने तहसीलदार रानी के समक्ष अपीलांट की कृषि भूमि 246 में से आने–जाने हेतु रास्ते की भूमि की मांग करने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जो किसी भी परिस्थिति मे पोषणीय नहीं था। इसीलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।तहसीलदार रानी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण न कर अपने द्वारा एक नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष बिना किसी कारण, बिना किसी अधिकारिता, बिना क्षेत्राधिकार के पेश किया जिसमें भी गलत तथ्य दर्ज किये कि अपीलांट की कृषि भूमि में आम जन के द्वारा स्थाई रूप से उपयोग किया जा रहा है और कई जगह कच्ची/पक्की सड़क भी बन सकती है/बन चुकी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु प्रस्तावित रास्ता स्थाई सार्वजनिक रास्ते है जो बारहमासी है तथा मौसम/ ऋतुओ के अनुसार बदलता नहीं हैतथा आम जन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है। जबकि अपीलाण्ट की कृषि भूमि खसरा

संभागीय आयुक्त,
पाली

नम्बर 246 किस्म बारानी अब्बल भूमि थी, जो कि किसी भी प्रकार से, किसी भी सूरत मे रास्ते की भूमि नहीं थी परन्तु रेस्पोडेंट को फायदा पहुंचाने के लिये गलत तथ्यों को दर्ज कर उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि विधि एवं तथ्यो के विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं था और योग्य अधिन न्यायालय को उस प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं था उसके बावजूद भी योग्य अधिन न्यायालय ने उस प्रार्थनापत्र पर भी आदेश दिनांक 04.10.2022 पारित किया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः सुनवाई करने के निर्देश दिए थे, परन्तु योग्य अधिन न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना नही की और अपने द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 04.10.2022 की ही पुष्टि कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इन तथ्यों पर भी गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 254 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि प्रथम सेटलमेंट के समय राजस्व नक्शे में दर्ज ही नही थी, उसे द्वितीय सैटलमेंट के नक्शे मे रास्ते के रूप में दर्ज किया था और वह रास्ता भी अपीलांट की कृषि भूमि खसरा संख्या 246 की सीमा तक आकर समाप्त हो जाता था और अपीलांट की कृषि भूमि में से कोई रास्ता कभी रहा ही नहीं। यदि सरकार की मंशा इस खसरा नम्बर 254 गैर मुमकिन रास्ता को आगे खसरा नम्बर 187 तक बनाने ले जाने की मंशा होती तो सैंकड सेटलमेन्ट के समय ही इस खसरा नम्बर 254 गैर मुमकिन रास्ता को आगे खसरा नम्बर 187 तक दर्ज कर दिया जाता परन्तु ऐसी मंशा नहींथी। योग्य अधिन न्यायालय ने इस स्थिति को भी नहीं समझा। इस कारण भी तहसीलदार रानी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था। जिन तथ्यो को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कियोग्य अधिन न्यायालय ने रेस्पोडेंट की सुविधा के लिये जो रास्ता धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता उसे देने हेतु और रेस्पोडेंट को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 को दो भागो में बांट कर अपीलांट की कृषि भूमि के बीच में से गैर मुमकिन रास्ता देने के आदेश पारित किये है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 में से जिस जगह से रास्ता देने के आदेश दिये है उक्त भूमि पर रास्ता दिया ही नही जा सकता था क्योंकि रास्ते हेतु चाही गई उक्त भूमि पर अपीलांट का मकान बना हुआ है, जिसमे अपीलांट निवास कर रही है और मौके पर राइडे की फसल खड़ी थी एवं वर्तमान में भी फसल खड़ी है, जो तहसीलदार रानी ने स्वयं अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.7.2024 में भी दर्ज किया हैं। जिस कारण भी उक्त मकान व खड़ी फसल की भूमि पर रास्ता दिया जाना संभव ही नही है इस कारण अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कियोग्य अधिन न्यायालय ने जो धारा 131, 132 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट और नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेखनियम 1957 का जो हवाला देकर जो आदेश पारित किये है. वे प्रावधान इस प्रकरण में लागू ही नहीं होते है क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 मानचित्र तथा क्षेत्रमिती (फिल्ड बुक) का संधारण करने बाबत प्रावधान करती है और स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहीयों के

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

समाप्त हो जाने के पश्चात भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमो के अनुसार मानचित्र तथा फिल्ड बुक रखी जायेगी और वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू–सम्पति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लिख लेगा तथा ऐसी गलतीयों को जो ऐसे मानचित्र या फिल्ड बुक में की गई बतायी जावे, सही करेगा।राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 132 वार्षिक रजिस्टर बाबत प्रावधान करती है और स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि भू–अभिलेख अधिकारी, अधिकार अभिलेख का संधारण करेगा तथा उस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार विहित करे, धारा 114 और 120 में वर्णित (गिनाये गये) रजिस्टरो का एक सेट या संशोधित सेट जैसी भी स्थिति हो तैयार करवायेगा और इस प्रकार तैयार किये गये रजिस्टर वार्षिक रजिस्टर कहलायेगें और भू–अभिलेख अधिकारी वार्षिक रजिस्टरों में निर्धारित रिति से उन परिवर्तनों को जो हो जाये तथा किसी भी व्यवहार को जो किन्ही अभिलिखित (दर्जशुदा) अधिकारो या हितो को प्रभावित कर सके, दर्ज करवायेगा। धारा 131 और 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम जो उपर उल्लेखित अनुसार प्रावधान करती है, उसअनुसार धारा 131 और 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत योग्य अधिन न्यायालय द्वारा अपीलाधिन आदेश पारित किया ही नहीं जा सकता था और योग्य अधिन न्यायालय को इन प्रावधानों के तहत अपीलाधिन आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं था।योग्य अधिन न्यायालय ने नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का हवाला देकर जो आदेश पारित किये है. उन नियमो के तहत भी अपीलाधिन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नियम 58 गश्त गिरदावरी (इंस्पेक्शन दौरे) के बारे में प्रावधान करता है। जिसके तहत निर्धारित मानचित्र (नक्शा) एवं खसरा बनाये रखने के लिये हर एक साल पटवारी अपने सर्कल के हर एक गांव का तीन बार, क्षेत्रवार निरीक्षण कर गश्त गिरदावरी करेगा।नियम 59 शुद्धि के लिये नक्शे की नकल का प्रावधान करता है जिसमें खसरा संख्या की हदबंदी के रद्दोबदल, इस विषय में खास तौर पर दिये गये गाँव के अनुमार्गण (ट्रेस–रेखाचित्र) पर, पटवारी अंकित करेगा। गिरदावरी के समय वह पेंसिल से परिवर्तनो को नोट कर लेगा और इस्पेक्टर द्वारा ऐसी (दुरस्ती) की जाँच पूरी हो जाने पर वे परिवर्तन लाल स्याही से अंकित कर दिये जायेगें। इस्पेक्टर द्वारा जाँच 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जानी चाहिये। चो–सालाना जमाबंदी के साथ–साथ, गत चार सालों में नक्शे मे हुए सभी परिवर्तनो को ऑफिस कानूनगो और सदर कानूनगो के पास भेज दिया जायेगा, जो सभी तरमीमात को अपने–अपने दफ्तर के पिछले सेटलमेंट में दर्ज करवायेगें।नियम 60 दुरस्ती (करेक्शन) के बारे मे प्रावधान करता हैं, जिसके तहत सभी राजस्व अधिकारीगण ऐसे पटवारीयों द्वारा जिनपर उनका नियंत्रण है, काम मे लिये जाने वाले नक्शे के सही होने के उत्तरदायी होंगे। अपने गिरदावरी के हर एक दौरे के समय पटवारी खेतों का एक–एक करके नक्शा का मिलान करेगा और उस पर जरूरी नाप जोख करने के बाद खेत की हदबंदी में होने वाले सभी परिवर्तनो तथा अन्य रद्दोबदलो को नोट करेंगा। यदि किसी गाँव के नक्शे को दुरूस्त करने के लिये विस्तृत कार्यवाही जरूरी हो तो सर्वेक्षण के लिये जरूरी यंत्रो के निमित तथा ऐसी मद्द के वास्ते जो आवश्यक हो, इंस्पेक्टर के पास एक अर्जी भेजेगा।नियम 66 खेतो का विभाजन के बारे मे प्रावधान करता है. जिसके तहत आम तौर से खसरे के हरेक पृष्ठ पर 10 नम्बरो से अधिक इन्द्राज नहीं किये जायेंगे और प्रत्येक प्लाट के किये गये इन्द्राज के अंत में कालमों के मध्य रेखा खींचकर उसे अलग कर देना चाहिये। जब कभी किसी खेत मे बंटवारा विभाजन रेखाओं द्वारा एक से ज्यादा हिस्सों मे किया जाये तो हरेक ऐसे भाग

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त
पाली

का पृथक इन्द्राज किया जायेगा यदि उसको पैरा 60 मे दिये गये अनुदेशो के अनुसार नम्बर दे दिया गया है।नियम 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के बारे मे प्रावधान करता है, जिसमे यदि किसी नही जोते गए क्षेत्र के किस्त को कृषि योग्य या अकृषि योग्य या उसके विपरीत रूप मे बदला जाता है तो भूमि के वर्ग (किस्म) की प्रविष्टि को लाल स्याही से बदल देना चाहिये और उसका प्रमाणिकरण इन्सपेक्टर द्वारा लिया जाना चाहिये। यदि जोते गये क्षेत्रो के संबंध मे, भूमि के वर्ग की प्रविष्टियो मे अधिक परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन को भीलाल स्याही से किया जाना चाहिये और इन्सपेक्टर द्वारा प्रमाणीकरण करवाया जाना चाहिये।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि उपरोक्त सभी नियम पटवारी एवं राजस्व अधिकारीयों के नियमित कार्यों के लिये प्रावधान करते है जिनमें प्रत्येक गिरदावरी, प्रत्येक चौसाले मे हुए परितर्वन को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे परिवर्तन करने के लिये निर्धारित किये हुए है, परन्तु इतने वर्षों में पटवारी अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अपीलांट की भूमि में कभी भी निरीक्षण के समय, गिरदावरी के समय, चौसाले के समय रास्ते की भूमि होने के इन्द्राज राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही किये और अपीलांट की खातेदारी भूमि मे जो फसल बोई जाती थी उसका इन्द्राज ही खसरा गिरदावरी मे किया गया है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट की कृषि भूमि मे से कोई रास्ता नही जाता था, यदि ऐसा कोई रास्ता होता तो पटवारी या राजस्व अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान अवश्य टिप्पणी करते एवं राजस्व रिकॉर्ड मे उस रास्ते की भूमि का इन्द्राज करते. इससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से कोई भी रास्ता कभी भी नही रहा है, परन्तु रेस्पोडेंट ने राजस्व अधिकारीयों से मिलावट कर अपीलांट की निजी खातेदारी भूमि जिसमें अपीलांट का मकान एवं फसल खडी है, उक्त भूमि मे राजस्व रेकर्ड एवं मौके से भिन्न स्थितिया परिस्थितियां बताकर अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08. 2016 के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वाराअभियान 2016 के दौरान जो रास्ते संबंधित अनेक समस्या आयी थी। उस दौरान चालू स्थाई रास्तो के राजस्व अभिलेख मे अंकन करने की कार्यवाही किये जाने हेतु परिपत्र जारी किया गया था जिसमें समस्या 02 राजकीय भूमि/निजी खातेदारी भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू एवं राजस्व नक्शे मे रेखा बिन्दूओ (डोटेड लाईन) से दर्ज सार्वजनिक रास्ते। कई जगह कच्ची/पक्की सडक भी बन गयी है, के समाधान के रूप में यह बताया गया था कि राज्य में अनेक स्थाई रास्ते राजकीय और निजी भूमियो मे से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेखो मे नही है। स्थाई रास्ते, सार्वजनिक रास्ते वे है जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नही है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख मे अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा। यहां पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति सम्मन के द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे। निरीक्षण भू–अभिलेख नियम के मानदण्डो के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त,
पाली

करेंगे जो उस पर आदेश देंगें। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर नामांतरकरण के जरिये रास्तो को अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रो की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदनप्रस्तुत किया जाये। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारो मे गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा।उपरोक्त परिपत्र में दर्ज अनुसार भी ऐसी कोई स्थिति अपीलांट की खातेदारी भूमि के संबंध में नहीं थी क्योंकि अपीलांट की खातेदारी भूमि में ऐसा कोई स्थाई चालू रास्ता नहीं था. यदि ऐसा कोई स्थाई चालू रास्ता होता या कच्ची / पक्की सडक बनी हुई होती तो पूर्व की गिरदावरी के निरीक्षण के समय पटवारी अथवा राजस्व अधिकारीयो द्वारा राजस्व रेकर्ड मे उसका अंकन किया जाता। जबकि पूर्व की गिरदावरी के निरीक्षण के समय पटवारी और राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में मौके पर अपीलार्थी की हमेशा फसल होना दर्ज किया गया था। अभी भी दिनांक 26.7.2024 को भी तहसीलदार रानी ने अपनी रिपोर्ट में फसल होना और अपीलार्थी का मकान होना व रहवास होना कथन किया है और इस परिपत्र के अनुसार नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति भी अपीलांट को सम्मन द्वारा नही दी गई और निरीक्षण भू–अभिलेख नियम के मानदंण्डो के अनुसार नहीं किया, इस कारण भी अपीलाधिन आदेश नियम विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्यहै।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कियोग्य अधिन न्यायालय ने अपीलाधिन आदेश पारित करते समय एक आधार यह बनाया कि सेटेलाईट नक्शा सुपर इम्पोज के अनुसार भी खसरा नम्बर 868/850 मे रास्ता खुल्ला था और सुपर इम्पोज शीट दिनांक 27.04.2004, 10.10.2010, 29.04.2015, 19.05.2022 का हवाला दिया, परन्तु योग्य अधिनन्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि में पूर्व के किसी भी खसरा गिरदावरी में रास्ते की भूमि अथवा पटवारी या राजस्व अधिकारी द्वारा नक्शे में रास्ते की भूमि का इन्द्राज किया हुआ नहीं हैं बल्कि फसल होने का इन्द्राज हैं और जिन सेटेलाईट नक्शे और सुपर इम्पोज शीट का हवाला दिया है वह किसी भी रूप से प्रमाणित नही है उसके उपरांत भी उन पर विश्वास करते हुए अपीलाधिन आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कियोग्य अधिन न्यायालय में जो प्रार्थी थे और इस अपील मे जो रेस्पोडेंट संख्या 01 से 14 है, उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना ही नहीं था उनका प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर तो कोई कार्यवाही करना तहसीलदार रानी ने आवश्यक माना नहीं था क्योंकि उनके खेत मे तो आने जाने हेतु रिकोर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 254 पहले से ही हैं उसके बावजुद भी उनमे से रेस्पोडेंट संख्या 02 रमेश कुमार की भूमि अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 246 से काफी दूर स्थित है और अपीलाधीन आदेश के जरिये जो रास्ता दिया गया है, उस रास्ते से इस रमेश कुमार का कोई लेना–देना नही है और इस रमेश कुमार के अपने भूमि का उपयोग करने में अपीलाधिन आदेश के जरिये दिये गये रास्ते को उपयोग करने की भी कोई आवश्यकता नही है, उसकी भूमि मे आने जाने हेतु पक्की सी.सी. रोड बनी हुई है। जो नक्शे से ही स्पष्ट हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि तहसीलदार रानी ने गलत तथ्य पेश किये कि अपीलांट के खसरा नम्बर 246 में से स्थाई रूप से रास्ता

संभागीय आयुक्त,
पाली

आमजन द्वारा उपयोग किया जा रहा है और कई जगह कच्ची/पक्की सडक भी बन चुकी है और रास्ता बारहमासी है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत नहीं था और ऐसा कोई सबूत नही है कि खसरा नम्बर 246 मे से जिस जगह अपीलाधिन आदेश के जरिये रास्ता दिया गया है वहां कभी चालू, स्थाई रास्ता रहा हो और स्थाई रूप से रास्ता आम जन द्वारा उपयोग किया जा रहा हो और कई जगह कच्ची/पक्की सडक बन चुकी हो और जिस जगह रास्ता दिया गया है वह बारहमासी रास्ता हो। जबकि उक्त भूमि पर अपीलांट का मकान था एवं उसकी फसल खडी थी और मकान है और फसल खडी हैं जो इन्ही तहसीलदार रानी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक26.7.2024 में भी दर्ज किया हैं उसके बावजूद अपीलाधिन आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाधिन आदेश के जरिये जो खसरा नम्बर 246 मे से रास्ता दिया गया है, वह रास्ता अपीलार्थी के खसरा नम्बर 246 की भूमि को बीच में से दो भाग में बांट देता है और किसी भी कानून के तहत अपीलार्थी की भूमि को बीच मे से दो भागो मे बांट कर कोई रास्ता नही दिया जा सकता है और उपर दर्ज अनुसार इन्ही एस.डी.ओ. रानी ने अपीलार्थी के खसरा नम्बर 246 मे से मुकदमा नम्बर 04/2016 नरपत व अन्य बनामजरावी देवी में निर्णय दिनांक 28.06.2022 के जरिये रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये है, इन परिस्थितियो में एक ही पक्षकार अपीलार्थी के एक ही खेत खसरा नम्बर 246 में से दूसरी बार रास्ता उसके खेत को दो भागो में बांट कर दिया ही नही जा सकता है।पहले कुछ अन्य व्यक्तियो नरपत, महेन्द्र, हरिपाल, मोहन कवंर, नाथू ने भी धारा 251ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत खसरा नम्बर 246 मे से रास्ते की मांग की थी तब इन्ही एस.डी.ओ. रानी ने मुकदमा नम्बर 04/2016 नरपत व अन्य बनाम जरावी देवी में निर्णय दिनांक 28.06.2022 के जरिये अपीलार्थी के खसरा नम्बर 246 में सेजाने के आदेश पारित किये थे और उस आदेश की पालना में अपीलार्थी के खसरा नम्बर 246 में से रास्ता दिया जा चुका है और वो रास्ता अपीलार्थी के खसरा नम्बर 246 में तरमीम भी हो चुका है और वह रास्ता चालू है। इन परिस्थितियों में भी अपीलाधिन आदेश के जरिये दूसरी बार रास्ता नही दिया जा सकता है।तहसीलदार रानी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रानी को पत्र क्रमांक राजस्व/24/1710 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा बताया है कि मौका निरीक्षण पर गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 868/850 (जो कि खसरा नम्बर 246 की भूमि है।) जो जरावी बाई की खातेदारी भूमि में दर्ज है, पर ज्वार की फसल खडी है एवं रानी दूदवड डामर सडक की तरफ पक्का कमरा बना हुआ है, जवारी देवी स्वयं निवास कर रही है, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए है। मोहनलाल के खेत में जाने हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध है, जो उक्त सडक से उक्त मार्ग से सीधे आना–जाना चाहता है। उक्त स्थितियों के मध्यनजर प्रार्थी जरावी को सुनकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर प्रेषित है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमि में जो रास्ते की भूमि दिये जाने के आदेश पारित किये गया था वह मौके की वास्तविक स्थिति से बिल्कुल भिन्न तथ्यों को दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जानेयोग्य है।अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.12.2023 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमायें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् संख्या 1 लगायत 14 ने द्वौराने बहस अभिकथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वल्ली मोहम्मद के नाम से आंवटन हुई तथा वल्ली

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

मोहम्मद से अपीलाण्ट जरावी के पिता ने खरीद की गई। ग्राम रानी खुर्द तहसील रानी जिला पाली के खसरा नंबर 187 एवं खसरा नंबर 254 गैर मुमकिन रास्ता के बीच में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नबर 246 में से रास्ता रहा है जिसका प्रमाण कोई भी व्यक्ति गूगल के माध्यम से पूर्व की स्थिति देख सकते हैं एवं रेस्पोडेण्टस् की ओर से इस बाबत वर्तमान एवं पूर्व की सैटेलाइट इमेज को पेश किया गया है।रेस्पोडेण्टस की ओर से धारा 251 के तहत चालू रास्ते को अवैध रूप से बंद कर दिया था, उसे खुलवाने हेतु आवेदन पेश किया था, न की धारा 251ए के तहत पेश किया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में दोनों पक्षों को सुनकर एवं साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत आदेश दिनांक 08/12/2023 को पारित किया गया है एवं उक्त आदेश पारित होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/03/2024 में दोनों पक्षों की स्वीकृति से अधिनस्थ न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04/10/2022 को पश्चात्वर्ती आदेश दिनांक 08/12/2023 मे मर्ज होना मानकर आदेश पारित किया है तथा पूर्व में पारित स्थगन आदेश को निरस्त किया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा यह निवेदन करने पर कि वो उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, न कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिन न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 04/10/2022 को विधिवत रूप से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक है 10/08/2016 कि अनुपालना में पारित किया गया है जो की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05/03/2024 अनुसार उक्त आदेश बाद में पारित आदेश दिनांक 08/12/2023 में विलीन अर्थात मर्ज हो गया है, जो दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पारित किया गया है। इसलिए आदेश दिनांक 04/10/2022 बाबत आपत्ति करने का अपीलाण्ट को कोई हक अधिकार नहीं है।माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुपालना में विधिवत रूप से अधिन न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् ने द्वौराने बहस अभिकथन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कभी भी अपीलाण्ट को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया बल्कि स्वयं अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय में निवेदन किया था कि वो अधीन न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करना चाहती हैं। अधिन न्यायालय ने विधिवत आदेश पारित किया है इसलिए अपील खारिज योग्य है।रेस्पोडेण्टस् द्वारा पूर्व मे कदीम से चले आ रहे रास्ते को खुलवाने एवं रिकॉर्ड में विधिवत रास्ता दर्ज करने की माँग की गई है। धारा 251ए में नये रास्ते की भी माँग की जा सकती है जिसमें कोई रोक नहीं है। खसरा नंबर 254 से मुख्य रास्ता खसरा नंबर 187 पर आने हेतु बहुत लंबी दूरी अर्थात करीब एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जबकि जिस रास्ते की माँग की गई है वह मात्र 13 मीटर लंबाई की दूरी का है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्टस् की माँग जायज होने से अधिन न्यायालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है।अपीलाण्ट के खसरा नंबर 246 में से हमेशा से ही स्थाई रास्ता रहा है, जिसे अपीलाण्ट ने अन्य प्रकरण में स्वीकार किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 का वकील अपीलाण्ट ने कथन किया है, जबकि अधिन न्यायालय द्वारा परिपत्र दिनांक 10/08/2016 के अनुसार धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधि. के साथ साथ राज लेण्ड रेकर्ड रूल्स के अनुसार रास्ता दिए जाने बाबत प्रावधान किये गये है।सेटलमेंट पूर्व उक्त

संभागीय आयुक्त,
पाली

खसरा नंबर 246 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की थी, फिर भी गलत रूप से किये गये आवंटन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा खरीद की गई है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् ने द्वौराने बहस अभिकथन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत दस्तावेज में निर्णय दिनांक 28/06/2022 प्रस्तुत किया है, जिसमे अपीलाण्ट ने जवाब, शपथ पत्र, नक्शा पेश कर यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि खसरा नम्बर 246 में से हमेशा से ही रास्ता रहा है और उसका उपयोग रेस्पोडेण्टस् एवं अन्य खातेदार रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं इसलिए इस बाबत यह कथन कि उसके भूमि को 2 भागों में बॉट दिया, गलत होने से अस्वीकार, है।अपीलाण्ट की मानसिकता प्रकट होती है कि वह जानबूझकर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल बोकर रास्ता नहीं देना चाहती है। धारा 251ए में ऐसे कोई रोक नहीं है की जिस भूमि पर फसल होती है वहाँ से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मौके पर मकान बना दिया है, अगर अपीलाण्ट द्वारा आदेश पारित करने के बाद कोई निर्माण किया है तो उसके आधार पर न तो निर्णय निरस्त हो सकता है न ही रेस्पोडेण्टस् को अपने अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् ने द्वौराने बहस अभिकथन गया किया कि धारा 131 व 132 तथा राज लेण्ड रेकर्ड नियमों के तहत तथा परिपत्र दिनांक 10/08/2016 में वर्णित नियमों के तहत विधिवत रूप से रास्ता दिया गया है। यह रास्ता कई दशकों से स्थायी रूप से चालू था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उसका अंकन नहीं था इसलिए अधिन न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर रास्ता दर्ज किया गया है लेकिन वह भूमि खातेदार अर्थात अपीलाण्ट की खातेदारी में ही दर्ज रहेगा एवं दर्ज है।गूगल के माध्यम से सुपर ईम्पोज सीट कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन निकाल सकता है जो रेस्पोडेण्टस ने अधिन न्यायालय एवं इस न्यायालय में पेश की है, जो मौके की सही स्थिति को बयान करती है।विधि अनुसार अधिन न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई एवं जाँच रिपोर्ट के आदेश पारित किया है जिस आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है।इसलिए उक्त अपील पोषणीय नहीं है। तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 26/07/2024 की जानकारी रेस्पोडेण्टस को नहीं है। यह रिपोर्ट रेस्पोडेण्टस् की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। उक्त रिपोर्ट के पूर्व ही अपीलाधीन आदेश पारित हो चुका है. जिसकी पालना होनी शेष है। अपीलाधीन आदेश के बाद किया गया निर्माण अवैध है। ऐसे अवैध निर्माण से विधिवत आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् ने द्वौराने बहस अभिकथन किया गया कि सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 246 गैर मुमकिन रास्ता ही था। जिसे गलत रूप से आवंटन करवा कर किस्म बदल दी, जिस कारण से सेटलमेंट के बाद बने नए खसरा नंबर 246 की किस्म गै. मु रास्ता दर्ज नहीं की है। सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 246 के गत नम्बर 152 थे जिसकी किस्म गै. मु. रास्ता थी जिसे गलत रूप से आवंटन करवाकर किस्म बारानी दर्ज कर दी जबकि सेटलमेन्ट पूर्व से ही रास्ते के रूप में उपयोग में रही है। खसरा नंबर 246 की किस्म गै.मु. रास्ता ही रहती तो आज यह समस्या सैकड़ों किसानों के लिए उत्पन्न नहीं होती।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् ने द्वौराने बहस अभिकथन किया गया कि अपीलाण्ट ने अन्य प्रकरण में यह स्वीकार किया है कि उसके खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 246 में

संभागीय आयुक्त,
पाली

से अपीलाधीन रास्ते में से दिया गया रास्ता हमेशा से ही रास्ता रहा है और जिसका उपयोग रेस्पोडेण्टस् सहित अन्य खातेदार कई दशकों से रास्ते के रूप में करते आ रहे है और यह रास्ता हमेशा से ही खसरा नंबर 187 एवं खसरा नंबर 254 के मध्य रहा है इसलिए इस स्वीकृति के विरुद्ध कथन करने से अपीलाण्ट विबंधन (Estoppel) के सिद्धान्त से बाधित है। प्रकरण संख्या 4/2016 में अपीलाण्ट जरावीदेवी द्वारा प्रस्तुत जवाब, शपथ पत्र व नजरी नक्शा में यही स्वीकार किया है कि खसर नंबर 254 व 187 के बीच में अपीलाण्ट जरावी की भूमि में से हमेशा से ही रास्ता रहा है जो सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। उपरोक्त स्वीकारोक्ति के विरूद्ध कथन करने से जरावी Estoppel के सिंद्धात से बाधित है। इसलिए उसके विपरीत कथन करने का अपीलाण्ट का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2023(2) पेज नंबर 1068 एवं आर आर डी 2019 पेज नंबर 546 प्रस्तुत किये गये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् ने द्वौराने बहस अभिकथन किया गया कि जो रास्ता अधिन न्यायालय द्वारा दिया गया है वह रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो चुका है फिर भी उस रास्ते में फसल बोने एवं निर्माण करने से उक्त निर्णय निरस्त नहीं हो सकता है, न हीं इस आधार पर अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकती हैबल्कि अपीलाण्ट ने तो जानबूझकर न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं होने देने के उद्देश्य से अवैध निर्माण किया है जिसे हटाया जाना न्यायोचित है। अधिन न्यायालय द्वारा दिए गए रास्ते से सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे क्योंकि यह रास्ता हमेशा से ही चालू व स्थाई रास्ता रहा है जिसे अपीलाण्ट स्वयं ने अन्य प्रकरण में स्वीकार किया है। लेकिन अवैध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जानबूझकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे रेस्पोडेण्टस् सहित कई अन्य किसानों को भारी तकलीफ हो रही है। अन्य रास्तों से आने हेतु 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जबकि यह रास्ता हमेशा से ही चालू रहा है तथा जहाँ कम दूरी का रास्ता उपलब्ध हो, वहाँ पर लंबी दूरी का रास्ता नहीं दिया जा सकता है और इस बाबत रास्ता रेकॉर्ड में दर्ज नहींहोने पर नए रास्ते की माँग की जा सकती है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2016(1) पेज नंबर 440 प्रस्तुत किया। अतः अपीलाण्ट की अपील व्यय सहित खारिज फरमावे।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलांट की भूमि मौजा ग्राम रानी खुर्द तहसील रानी के खसरा नंबर 246 में स्थित है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अपनी कृषि भूमि मेंआने–जाने हेतु अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 में से बंद रास्ते को खुलवाने हेतु तहसीलदार रानी के समक्ष अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार, रानी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रानी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 बाबत चालू स्थाई रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी रानी ने दिनांक 04.10.2022 को आदेश पारित किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

संख्या 8479/2023 मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 17478/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2023 को पारित किया गया है कि दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रानीअपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखे। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.09.2023 की पालना में प्रकरण दिनांक 29.11.2023 को दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकरान् को नोटिस देकर तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार रानी से वर्तमान रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति की जाचं रिपार्ट तलब की गई। "तहसीलदार रानी जिला पाली के पत्र क्रमांक/2023/1734 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा वर्तमान रिकार्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम रानीखूर्द के खसरा नंबर 866/850 रकबा 0.9158 है. किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 867/850 रकबा 0.11 है. किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 868/850 रकबा 0.0059 है. किस्म गै.मु. रास्त जराबी पुत्री मनाराम जाति घांची निवासी रानीखुर्द के नाम वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2073–2076 खात संख्या 106 में दर्ज है। यह भूमि रानी से दूदवड सड़क पर आई हुई है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/297–98 दिनांक 4.10.2022 की पालना में जराबी की खातेदार भूमि में से खसरा नंबर 254 से आगे खसरा नंबर 187 की ओर रास्ता खसरा नंबर 868/850 दर्ज किया गया था। यह रास्ता पूर्व में मौजुद था। आदेश मय 868/850 किस्म गै.मु.रास्ता को जराबी पुत्री मनाराम द्वारा बंद कर दिया गया है। इस रास्ते के दोनो तरफ बोर्ड एवं पट्टिया लगाई हुई है। जिससे इसका रास्ते के रूप में उपयोग नही हो पा रहा है। खातेदार जराबी पुत्र मनाराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 17478/2022 दायर की गई। जिसके निर्णय दिनांक 29.11.2022 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी रानी के आदेश दिनांक 4.10.2022 पर स्थगन आदेश पारित किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नंबर 868/850 किस्म गै.मु. रास्ता पूर्व में पडौसी खातेदारो के आने जाने का रास्ता था। पूर्व में तैयार की गई मौका फर्द के अनुसार यह रास्ता खुला था। जो वर्तमान में जराबी पुत्री मनाराम द्वारा बंद कर दिया गया। प्रार्थी मोहनलाल परिहार द्वारा प्रस्तुत सेटेलाईट नक्शा सुपर ईम्पोज के अनुसार भी खसरा नंबर 868/850 में से रास्ता खुला था।

इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत भू–अभिलेख निरीक्षक रानी, पटवारी हल्का रानी खुर्द द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 9.9.2022 के अनुसार मौजा रानी खुर्द के खसरा नंबर 246 रकबा 1.05 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल जराबी पुत्री मनाजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौजा रानी खुर्द के खसरा नंबर 187 किस्म गै.मु. रास्ता जो की रानी से दुदवड जाने का रास्ता है, उक्त रास्ते से खसरा नंबर 246 में से होकर आगे खसरा नंबर 254 जो राजकीय रास्ता है, दोनो रास्तो के बीच में उक्त खसरा नंबर 246 में से जो पूर्व से चालू रास्ता था, जो सेटलमेंट 2041 से 2060 के पूर्व से मौके पर चालू रास्ता था, उक्त रास्ता कदीमी रास्ता है। वर्तमान में तीन चार माह पूर्व उक्त खसरा नंबर 246 के खातेदार जराबी पुत्री मनाराम द्वारा मौके पर दोनो साईड से धोरा लगाकर बंद कर दिया गया है।

यहां पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप. 3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू परंतु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नही, कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी

संभागीय आयुक्त,
पाली

बन गयी है, राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू एवं राजस्व नक्शे में रेखा बिदुओं (डॉटेड लाइन) से दर्ज सार्वजनिक रास्ते, कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गयी है, इस प्रकार जहां पर चलायमान रास्ता है अथवा रहे है उनको राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर सकते है। जैर अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, रानी से रिपोर्ट तलब की गई तथा तहसीलदार रिपार्ट के अनसुार वादग्रस्त आराजी पर मौके पर रास्ता चालू रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के द्वारा निर्णय विधि के अनुसार पारित किया गया है।

इसी तरह अपीलाण्ट जरावी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के अन्य प्रकरण अंतर्गत धारा 251क में प्रस्तुत जवाब–प्रार्थना पत्र के शपथ पत्र में कथन किया कि मेरी भूमि रानी से दुदवड जाने वाला रास्ता खसरा नंबर 187 गै.मु. रास्ता कच्ची सड़क के पास मेरी भूमि खसरा नंबर 246 विद्यमान है। मेरी भूमि के दक्षिण में खसरा नंबर 254 गै.मु. रास्ता विद्यमान है। दोनों रास्तों के बीच मेरी जमीन में से मैंने रास्ता के उपयोग हेतु जमीन दी हुई है जिससे दोनो रास्ते मिलने से आम सहखातेदारों को आवागमन के रास्ते की सुविधा हो गई है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, रानी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, रानी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रानीखुर्द तहसील रानी के खसरा नंबर 868/850 रकबा 0.0059 है. किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि को खातेदार जरावी द्वारा बंद कर दिया गया है, अर्थात पहले यह रास्ता चलायमान रास्ता रहा है तथा उक्त चलायनमान रास्ते की स्वीकारोक्ति अपीलाण्ट जरावी ने अपने उक्त जवाब–प्रार्थना पत्र के शपथ में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त स्वीकारोक्ति के विरूद्ध कथन करने से जरावी Estoppel सिद्धान्त से बाधित है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/12/2023 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुना गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने हेतु विधि के अनुसार अवसर प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के प्रकरण संख्या 1/2023 उनवान सरकार बनाम 1. मोहनलाल 2. जरावी निर्णय दिनांक 08.12.2023विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि होना नही पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के प्रकरण संख्या 1/2023 उनवान सरकार बनाम 1. मोहनलाल 2. जरावी निर्णय दिनांक 08.12.2023 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

संभागीय आयुक्त,
पाली

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली